Email: directoracad.cbse@nic.in
Webite: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षासदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"ShikshaSadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, New Delhi-110002.

के.मा.शि.बो./शै./ नि. (शै.अ.प्र.न.)/2015 **परिपत्र संख्या-शैक्षणिक. 09/2015**

दिनांक: 23 जनवरी, 2015

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध
सभी विद्यालय प्रमुखों के लिए

विषय : प्रशिक्षण कार्यक्रम और विभिन्न क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के लिए नामिकागत एजेंसियों के चुनाव हेतु प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु |

प्रिय प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,

यह परिपत्र संख्या Acad.-2/2013 और सम्बद्धता शाखा के दिनांक 04/01/2013 की अधिसूचना के क्रम में है | समय-समय पर यथा-संशोधित संबद्धता उप-नियमों के निहितार्थों के अनुसरण में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 'क्षमता-निर्माण कार्यक्रम' के लिए विभिन्न एजेंसियों को नामिकागत किया है| वर्तमान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, छात्रों तथा अभिभावकों के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों द्वारा और नामिकागत एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है | केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रक्रिया को औपचारिक तथा सुव्यवस्थित करने के लिए अनेक पहल की हैं | ऐसी एक पहल- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नामिकागत एजेंसियों और इन कार्यक्रमों के प्रत्याशित प्रतिभागियों के लिए एक अनन्य वेबसाइट समर्पित करना था | प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने से संबद्ध विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं –

क. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 'क्षमता निर्माण कार्यक्रम वेबसाइट' पर एजेंसियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची को प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क सहित अपलोड करेगा | इस वेबसाइट पर http://cbseacademic.in >>>training, innovation and research>>>capacity building program website. लिंक द्वारा पहुंचा जा सकेगा

ख. प्रतिभागी/विद्यालय प्रशिक्षण वेबसाइट पर जायेंगें और इच्छित कार्यक्रम को चुनेंगे | पंजीकरण करेंगे और अपनी पसंद की एजेंसी चुनेंगे |

ग. शुल्क का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा और प्रतिभागियों द्वारा भुगतान पूरी तरह से प्रदर्शित विवरण के अनुसार ही किया जाएगा | स्कूल/प्रतिभागी को प्रशिक्षण शुल्क का केवल 10% भुगतान सीधा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को करना होगा (इ-चालान या ऑनलाइन मोड के माध्यम से) और 90% भुगतान एजेंसी को प्रशिक्षण स्थल पर पक्की रसीद लेकर करना होगा | यदि स्कूल/प्रतिभागी एजेंसी के संपर्क में है और आश्वस्त है तो एजेंसी के शुल्क का 90% अंश का भुगतान स्कूल द्वारा किसी भी पूर्ववर्ती तिथि पर इस शर्त के साथ किया जा सकता है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10% शुल्क भुगतान को इ-चालान या ऑनलाइन मोड द्वारा पहले ही जमा कर दिया हो |

घ. प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होंगें और आग्रह करेंगे कि एजेंसी द्वारा उनकी उपस्थिति ऑनलाइन अंकित की जाए |

ङ. उपस्थिति अंकित किये जाने के बाद प्रतिभागी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन के समय प्रयोग किए गए यूज़र आई डी और पास वर्ड का प्रयोग करके प्रशिक्षण की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन फीडबैक प्रस्तुत करे |

उपर्युक्त चरणों की विस्तृत प्रक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम वेबसाइट पर प्रतिभागियों के लिए उपयोगकर्ता-नियमावली में उपलब्ध है |

सभी विद्यालयों को एक विकल्प दिया गया है कि वे अपने अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए सामूहिक रूप में रजिस्टर कर सकते हैं अथवा व्यक्तिगत रूप से अध्यापक,प्रधानाचार्य,छात्र और अभिभावक को भी उसी तरह से प्रशिक्षण के लिए रजिस्टर/पंजीकरण करा सकते हैं |

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आशा करता है कि एजेंसियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में एकरूपता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए नामिकागत एजेंसियों को दिए गए निर्देशों का विशुद्ध पालन हो | व्यक्तिगत विद्यालयों तथा अन्य प्रतिभागियों की भूमिका इस प्रयास में बहुत महत्त्वपूर्ण है | बोर्ड को विश्वास है कि अध्यापकों को सेवा कालीन प्रशिक्षण के महत्त्व को स्कूलों द्वारा सराहा जाता है और तदनुसार विद्यालय भी संबद्धता उपनियमों में व्यवस्था के आलोक में अधिक से अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया ये सक्रिय हैं |

यह भी अपेक्षा की जाती है कि:

i) वर्ष 2015 के दौरान स्कूल अपने सभी अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए ठोस प्रयास करेंगे |
ii) स्कूल इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि प्रशिक्षण का आयोजन नामिकागत एजेंसियों द्वारा अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अपने उत्कृष्ट केन्द्रों द्वारा ही किया जाता है।
iii) परीक्षार्थी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना किसी भी विद्यालय को, यहाँ तक कि नामिकागत एजेंसी को भी किसी भी परिस्थिति में प्रशिक्षण का आयोजन नहीं करना चाहिए|
iv) यदि कोई एजेंसी स्कूल को प्रशिक्षण देने के लिए संपर्क करे, तो स्कूल को तत्काल प्रशिक्षण वेबसाइट पर उस एजेंसी की विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए|
v) स्कूल तुरंत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को सूचित करेगा, यदि कोई एजेन्सी जो सी बी एस ई द्वारा नामिकागत नहीं है और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रस्ताव करती है,
अथवा
कोई एजेंसी प्रतिभागियों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बिना प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन करने का सुझाव देती है
अथवा
कोई एजेंसी प्रतिभागियों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तय किये गए शुल्क से अधिक या कम दर पर प्रशिक्षण देने और प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रस्ताव देती है |

vi. स्कूल सुनिश्चित करेंगे कि एजेंसी द्वारा उपस्थिति ऑनलाइन अंकित की जाती है और स्कूल द्वारा नियुक्त किये गए प्रतिभागियों ने ऑनलाइन फीडबैक भी प्रस्तुत किया है |

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त करके और प्रतिभागियों की ऑनलाइन फीडबैक विधि का प्रयोग करके एजेंसियों और उनके ट्रेनिंग कार्यक्रमों का गुणात्मक परीक्षण और निगरानी कर रहा है |

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस सम्बन्ध में आपकी सतत सहायता और सहयोग का आकांक्षी है|

आगे की और जानकारी के लिए आप संयुक्त सचिव (ट्रेनिंग) से 01123231070 पर अथवा ई-मेल trainings.cbse@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं |

(ज्ञानेंद्र कुमार)

संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)

सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए निवेदन के साथ प्रतिलिपि:

1 आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18-इन्सटिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016
2 आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी -15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201307

3 शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली-110054
4 निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर-9 चंडीगढ़-160017
5 शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम-737101
6 निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर-791111
7 शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर-744101
8 राज्य शिक्षा संस्थान, के.मा.शि.बो. कक्ष वी.आई.पी. मार्ग जंगली घाट. पी.ओ.-744103 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह।
9 केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस.एस. प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3, रोहिणी, दिल्ली-110085
10 आर्मी एडुकेशन के अपर निदेशक जनरल, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
11 सभी क्षेत्रीय निदेशक। के.मा.शि.बो. के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्धता प्राप्त विद्यालयों के प्रमुखों को परिपत्र की प्रति भेजने के अनुरोध के साथ।
12 सभी एसोसिएट प्रोफेसर एवं अपर निदेशक/सलाहकार/परामर्शदाता
13 सभी अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/अप निदेशक/सह-निदेशक, वोकेशलन सेल, के.मा.शि.बो.
14 के.मा.शि.बो. की वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी)
15 सभी सहायक प्रोफेसर एवं अपर निदेशक, के.मा.शि.बो.
16 सभी सहायक प्रोफेसर एवं उप निदेशक, के.मा.शि.बो.
17 उप निदेशक (परीक्षा एवं सुधार), के.मा.शि.बो.
18 असिस्टेंट लाइब्रेरियन, के.मा.शि.बो.
19 जन संपर्क अधिकारी, के.मा.शि.बो.
20 हिंदी अधिकारी, के.मा.शि.बो.
21 अध्यक्ष, के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
22 सचिव, के.मा.शि.बो. के निजी सचिव
23 परीक्षा नियंत्रक, के.मा.शि.बो. के अनुभाग अधिकारी
24 निदेशक (विशेष परीक्षा तथा सी.टी.ई.टी.), के.मा.शि.बो., के निजी सचिव
25 प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक/अनुसन्धान/प्रशिक्षण एवं नवाचार), के.मा.शि.बो. के निजी सहायक
26 निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के निजी सहायक
27 निदेशक (एडुसैट) के निजी सहायक

संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण)

प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली
प्रक्रिया प्रवाह

http://cbseacademic.in>>>training, innovation and research>>> capacity building program website.

विद्यालयों के लिए:

1. सिस्टम में लॉग-इन करें
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनें
3. इच्छित एजेंसी चुनें
4. प्रशिक्षण के लिए शिक्षक चुनें व जोड़े।
5. इ-चालान अथवा ऑन लाइन विधि से भुगतान करें
6. प्रशिक्षण के पश्चात् ऑनलाइन प्रतिक्रिया दें।

व्यक्ति-प्रतिभागियों के लिए:

1. सिस्टम में लॉग-इन करें
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम चुनें
3. इच्छित एजेंसी चुनें
4. इ-चालान अथवा ऑन लाइन विधि से भुगतान करें
5. प्रशिक्षण के पश्चात् ऑनलाइन प्रतिक्रिया दें।